संख्या:ई.सी.एल-एच।।(बी)(2)-13/94-3300

अर्थ एवं संख्या विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

XXXXX

दिनांक: शिमला-171001 16-3-मार्च, 1999

प्रेषक:

आर्थिक सलाहकार,
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171001

प्रेषित:

अतिरिक्त सचिव (अर्थ एवं सांख्यिकीय)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.

विषय:- भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में दिनांक 31-3-98 तक की गई तदर्थ सेवा को प्रोन्नति तथा स्थायीकरण के लिए गणना करना।

महोदय,

जयहिन्द

उपरोक्त विषय में कार्मिक विभाग के पत्र संख्या:पी.ई.आर(ए.पी) सी-बी(2)-2/95, दिनांक 28-11-98 तथा वेतन मानों की अधिसूचना संख्या फिन (पी.आर.)(बी)(7)-1/98, दिनांक 20-1-1999 के फलस्वरूप दफ्तरी ________________ पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के क. न0 4 तथा क. न0 11 में संशोधन के प्रारूप (हिन्दी व इंगलिश) परिशिष्ट क और ख आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाते है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
आर्थिक सलाहकार,
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171001.

.....

ANNEXURE-A

296
104

STATEMENT SHOWING THE EXISTING AND PROPOSED RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DAFTRI IN THE ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

Exsting provison of the R&P Rules	Proposed provision of R&P Rules
Col. 4:Rs.800-30-950-35-1160-40-1320-45-1455+40 S.P.	Col. 4:Rs.2720-100-3220-110-3660-120-4260+ 80 S.A.
COL. 11: By promotion from amongst the Peons with 3 years regular or regular combind with continuous adhoc service rendered upto 31.3.1991 failing which by deputation/transfer from amongst the official holding post of Daftri in other Government Deptt./Public Sector Undertaking.	COL. 11: By promotion from amongst the Peons with 3 years regular or regular combind with continuous adhoc service rendered upto 31.3.1998 failing which by deputation/transfer from amongst the official holding post of Daftri in other Government Deptt./Public Sector Undertaking.
1.(1) In all cases of promotion, the adhoc service rendered in the feeder post upto 31.03.1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as preibed in these Rules fro promotion subject to the condition:-	(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post upto 31.03.1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:
(i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service	(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the

-----2/-

rendered on adhoc basis upto 31-03-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, which ever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

basis upto 31-03-1988, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

EXPLANATION :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen(Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarily, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post upto 31-03-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service ;

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post upto 31-03-1998, if any, prior to the regular appointment/ promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper

oo

Provided that inter-se -seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31-03-1991 shall remain unchanged.

selection and in accordance with the provision of the R&P Rules ;

Provided that inter-se -seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31-03-1993 as referred to above shall remain unchanged."

******

अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश में दफ्तरी के पद के लिये भर्ती एवं पदोन्नति नियम।

भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में वर्तमान प्रावधान	भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में प्रस्तावित प्रावधान
का.सं. 4: 800-30-950-35-1160-40-1320-45-1455+40वि.वे.	का.सं.4: 2720-100-3220-110-3660-120-4260+80 वि. वे.
का.सं.11: चपड़ासियों में से, जिनका प्रोन्नति द्वारा 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या §31.3.91 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को शामिल करके उक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में दफ्तरी का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।	का.सं.11: चपड़ासियों में से, जिनका प्रोन्नति द्वारा 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या §31.3.98 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को शामिल करके उक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी विभाग/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में दफ्तरी का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।
§1§प्रोन्नति के सभी मामलों में पद नियमित नियुक्ति से पूर्व संमीर्ण पद में 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी:	§1§प्रोन्नति के सभी मामलों में पद नियमित नियुक्ति से पूर्व संमीर्ण पद में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, बेशर्ते कि संमीर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बंधित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर की गई हो।
§क§ उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्मरण पद में अपने कुल सेवाकाल §31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके§ के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे।	§क§ उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्मरण पद में अपने कुल सेवाकाल §31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा, नियमित/नियुक्ति सहित **i.e. followed by regular service/appointment** को शामिल करके§ के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे।

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष चूनतन अहर्ता सेवा या पद के भर्ती-एवं-प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी ।

परन्तु यह और भी कि, वहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने कारण सम्बन्धि विचार के लिए अप्राप्त हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अप्राप्त समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण!
अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अप्राप्त नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अप्राप्त व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिज पर्सोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्नीकल सर्विसेज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी ।

परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष चूनतन अहर्ता सेवा या पद के भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी, हो ।

परन्तु यह और भी कि, वहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने कारण सम्बन्धि विचार के लिए अप्राप्त हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अप्राप्त समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण!
अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अप्राप्त नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अप्राप्त व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिज पर्सोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्नीकल सर्विसेज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी । बशर्ते कि संबंधित पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो ।

परन्तु 31.3.98 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।